

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद


प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 06/04/2017 को जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में नैनी आवास योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण की अध्याप्ति भूमि लगभग 3000 वर्ग मी० जिसपर 31 प्लॉट अवंटित किये गये थे प्ररन्तु अवैध कब्जे होने के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहा था जिससे अवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका अवैध कब्जे को ध्वस्त कराते हुए प्राधिकरण भूमि को अवमुक्त कराया गया। इसके अतिरिक्त काजीपुर नैनी में अवैध संचालित सुन्दरम गेस्ट हाउस को सील किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त सहायक अभियन्ता श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री मनोज कुमार, अवर अभियन्ता श्री रवीन्द्र शुक्ला, श्री ए०के०सिंह, श्री वी०के०जारिया एडीए प्रवर्तन दल व पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी० एन० यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपि:— सम्पादक—समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अण्य के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।


प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क